	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	फाल्गुन 01, गुरूवार, *शाके* 1941–फरवरी 20, 2020 *Phalguna 01, Thursday, Saka 1941–February 20, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप- खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशो, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

(क-ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2020

जी.एस.आर.88 :-राजस्थान के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 और 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात 9-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान न्यायिक सेवा (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची- I का संशोधन.- राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 से संलग्न अनुसूची- I में शीर्ष "सेवा की संवर्ग संख्या "क" जिला न्यायाधीश संवर्ग" के अधीन क्रम संख्यांक 49 पर आयी अभिव्यक्ति "उप रजिस्ट्रार (परीक्षा)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपर रजिस्ट्रार (परीक्षा)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं. एफ.1(3)डीओपी/ए-II /2010]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह

उप शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

A-Gr.-II

NOTIFICATION

Jaipur, February 10, 2020

G.S.R.88 .- In exercise of the powers conferred by Article 233 and 234 read with proviso to Article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Rajasthan in consultation with the Rajasthan Public Service Commission and the High Court of Judicature for Rajasthan hereby makes the following rules further, to amend the Rajasthan Judicial Service Rules, 2010, namely:-

1. **Short title and commencement.–** (1) These rules may be called the Rajasthan Judicial Service (Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall come into force with immediate effect.
2. **Amendment in Schedule-I.-** In Schedule-I appended to the Rajasthan Judicial Service Rules, 2010, under the heading "CADRE STRENGTH OF THE SERVICE "A" DISTRICT JUDGE CADRE" the expression "Deputy Registrar (Examination)" occurring at serial number 49 shall be substituted by the expression "Additional Registrar (Examination)".

[No. F.1(3)DOP/A-II/2010]
BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR,
JAI SINGH,
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।